संख्या- 33 / 2017 / 452 /चार-2017-145 (वि0)/16

प्रेषक,

लुटावन राम
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 22 मार्च 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य संग्रहालय में 95 के0डब्लू रूफ टाप सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1099/उ0प्र0सं0नि0-1(56)/2016-17 टीसी दिनांक 20 मार्च, 2017 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य संग्रहालय में 95 के0डब्लू रूफ टाप सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु कार्यदायी संस्था- पूर्व में उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) वर्तमान में परिवर्तित नाम से उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 , लखनऊ द्वारा धनराशि रू0 141.20 लाख का आगणन गठित कर उपलब्ध कराया गया था । दिनांक17 मार्च, 2017 को विशेष सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्राप्त आगणन का परीक्षण करते हुए संशोधित आगणन उपलब्ध कराने की अपेक्षा कार्यदायी संस्था से की गयी । तद्न्तर्गत कार्यदायी संस्था द्वारा संशोधित आगणन रू0 126.40 लाख का उपलब्ध कराया गया। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2015/बी-2-2973/दस-2015-10/77 दिनांक 19 अक्टूबर,2015 के निर्देशानुसार प्रायोजनाओं के मूल्यांकन एवं औचित्य के परीक्षण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4110/चार-2015-131(वि)/2015 दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 द्वारा गठित विभागीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्राप्त आगणन का परीक्षण करते हुए कार्य की मूल्यकित लागत रू0 126.40 लाख निर्धारित /संशोधित की गयी है। अतएव वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य संग्रहालय में 95 के0डब्लू रूफ टाप सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु रू0 126.40 लाख (रूपये एक करोड छब्बीस लाख चालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- प्रायोजना आगणन में प्रस्तावित विभिन्न कार्यमदों की मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ निदेशक, संग्रहालय निदेशालय का होगा।

3- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आगणन के क्रम में कार्य का विस्तृत आगणन का गठन कर सक्षम तकनीकी अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति निर्गत करवाने के उपरान्त ही कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

4 - प्रस्तावित कार्य विशिष्ट प्रकृति का है । उक्त कार्य का सम्पादन राज्य सरकार की सक्षम संस्था नेडा के नामित तकनीकी अधिकारी के मार्गदर्शन में किया जायेगा।

5 - कार्य में तकनीकी समन्वय निदेशक,राज्य संग्रहालय, लखनऊ के द्वारा कराया जायेगा। कृत का परीक्षण नेडा के अधिकारी के द्वारा दिये गये परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- प्रस्तावित कार्य में लगाये गये उपकरणों की गारन्टी का प्रमाण पत्र कार्य करने वाली संस्था द्वारा दिया जाना अनिवार्य होगा। प्रस्तावित कार्य सक्षम एवं इम्पैनल्ड संस्था द्वारा ही कार्य कराया जाये।

7- प्रश्नगत कार्य हेतु प्रदान की गयी धनराशि में तब तक उपभोग न किया जाय जब तक कि उपरोक्त औपचारिकताएं न पूर्ण हो जाय।

8 - उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमानुसार उ0प्र0 राज्य सहकारी संघ लि0 को उक्त निर्माण कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

9 - उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशो का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

10 - वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

11 - प्रोपोराइटरी प्रकृति के कार्यो पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता एवं उच्च गुणवत्ता के आधार पर किया जायेगा।

12 - प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकता अनुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोक अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

13 - यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत /कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

14 - उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजगनागत पक्ष के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 92- के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति -107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान व्यय-42- अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

15 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लुटावन राम)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या - 33 /2017 / 452 (1)/चार-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।

3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।

4- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ ।

5 - मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

6 - परियोजना अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 , लखनऊ ।

7 - वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4

8 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(लुटावन राम)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।